न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 47/2014

अपीलांट
नरपतसिंह पुत्र अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी केशवना, तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर
2.जेतसिंह पुत्र हडमतसिंह,
3.डूंगरसिंह पुत्र हडमतसिंह
4.मुंगकंवर बेवा हडमतसिंह
5.खेतसिंह पुत्र अनसिंहजी
जातियान् राजपूत,निवासीगण केशवना, तहसील व जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 12.4.2013
(कमांक:राजस्व/4666–4668 दिनांक 12.4.2013

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 5 के वकील अनुपस्थित।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2 व 4 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 14.8.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा केशवना के खसरा नम्बर 598 रकबा 0.0100 हेक्टर ,खसरा नम्बर 599 रकबा 0.2400 हेक्टर,खसरा नम्बर 600 रकबा 9.4800 हेक्टर,खसरा नम्बर 947 रकबा 2.6500हेक्टर, खसरा नम्बर 948 रकबा 4.3000 हेक्टर,खसरा नम्बर 1265 रकबा 2.1000हेक्टर, खसरा नम्बर 1266 रकबा 2.3500हेक्टर की खातेदारी जेतसिंह, डूंगरसिंह पिसरान् हडमतसिंह, मुंगकंवर बेवा हडमतसिंह,खेतसिंह पुत्र अनसिंह1/2, नरपतसिंह पुत्र अमरसिंह 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज था, प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 12.4.2013 को तहसीलदार जालोर ने उपरोक्त खसरा नम्बरान् का बंटवाडा कर अलग खसरा कायम किये , (1)–खसरा नम्बर 1626/599 रकबा0.05 हेक्टर,खसरा नम्बर 1628/600 रकबा 0.03 हेक्टर,खसरा नम्बर 1629/600 रकबा2.35 हेक्टर,खसरा नम्बर 947 रकबा2.65 हेक्टर,खसरा नम्बर1630/948 रकबा 0.03 , खसरा नम्बर1631/948रकबा 0.80हेक्टर, कुल 5.91 हेक्टर में जेतसिंह ,डूंगरसिंह पि.हडमतसिंह,मुंगकंवर बेवा हडमसिह,कौम

राजपूत, साकिन देह खातेदार ,(2)–खसरा नम्बर 1627/599रकबा0.05 ,खसरा नम्बर 598 रकबा 0.01हेक्टर,खसरा नम्बर599 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 600 रकबा 2.35 हेक्टर,खसरा नम्बर 1266 रकबा 2.23 हेक्टर , कुल रकबा 4.67हेक्टर खेतसिंह वल्द अनसिंह, कौम राजपूत,साकिन देह खातेदार (3)–खसरा नम्बर 1632/599 रकबा 0.11हेक्टर, 1633/600 रकबा 4.75 हेक्टर, खसरा नम्बर948 रकबा 3.47 हेक्टर, खसरा नम्बर 1265 रकबा 2.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1634/1266 रकबा 0.12 हेक्टर कुल 10.55 हेक्टर में नरपतसिंह पुत्र अमरसिंह,कौम राजपूत,साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया। बंटवाडा गलत रूप से किया गया है। बंटवाडा से पूर्व किसी भी प्रकार की मौका जांच, पटवारी हल्का केशवना द्वारा नही की गयी तथा नक्शा स्पष्टरूप से नही बताया कि उस दिशा में पक्षकार का हिस्सा रहेगा। पटवारी हल्का ने बिना जांच किये ,बिना दिशा का वर्णन किये तथा गलत रूप से कब्जा का वर्णन किया जबकि वास्तविकता में तरमीम गलत रूप से की गई । दिनांक 25.6.2014 को रेस्पोडेन्ट सं. 2से 5 ने अपीलांट की कब्जा की भूमि में दखलन्दाजी पैदा की तथा वहां से हटाने की कोशिश की ,धमकी दी कि यह भूमि रेस्पोडेन्ट की है,अपीलांट ने पटवारी हल्का केशवना से सम्पर्क कर तरमीम भूमि की जानकारी लेने पर पता चला कि बंटवाडा में गलत तरमीम हुई है जिस पर अपीलांट ने तहसील जालोर में आकर नकलो हेतु आवेदन किया, अंतिम नकले दिनांक 2.7.14 को प्राप्त हुई, अतः जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की है,यदि किसी प्रकार की देरी मानी जाती है तो अपील के साथ धारा 5भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र साथ में पेश है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान् में बंटवाडा आदेश क्रमांकः राजस्व/4666–4668 दिनांक 12.4.2013 को खारिज करावे तथा इसके आधार पर भरा गया नामान्तरकरण सं. 1059 दिनांक 7.10.2013 भी खारिज करावें। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश क्रमांक /राजस्व/4666–4668 दिनांक 12.4.2013 आदि नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 25.6.14 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5, अपीलांट की कब्जा की भुमि में दखलन्दाजी पैदा की तथा वहां से हटाने की कोशिश व धमकी दी कि यह भूमि हमारी है,तब अपीलांट ने पटवारी हल्का केशवना से सम्पर्क कर तरमीम भुमि की जानकारी लेने पर पता चला कि बंटवाडा में गलत तरमीम हुई है, जिस पर अपीलांट ने तहसील जालोर में आकर नकले हेतु आवेदन किया ,अन्तिम नकल दिनांक 2.7.14 को अपीलांट को प्राप्त हुई ,जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपीलांट का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपील में हुई देरी को समायोजन कर अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार करावे। अपीलांट के धारा 5भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई जवाब पेश नही किया गया हैं।

3. अपीलांट के वकील की बहस सुनी गई।अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि बंटवाडा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में किया गया।बंटवाडा से पूर्व किसी प्रकार की मौका जांच पटवारी हल्का केशवना द्वारा नहीं की गई तथा नक्शा स्पष्ट रूप से नही बताया गया कि उस दिशा में पक्षकार का हिस्सा रहेगा। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 ने गलत रूप से अपीलांट को भ्रमित कर बिना मौके की जांच के उपरोक्त बंटवाडा पर हस्ताक्षर करवा दिये जबकि वास्तविकता में तरमीम अनुसार कब्जा नहीं है तथा अपीलांट के कब्जा अनुसार नक्शे में तरमीम नही की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का बंटवाडा आदेश कमांक /4666–4668 दिनांक 12.4.2013 को खारिज करावे तथा उसके आधार पर भरा गया नामान्तरकरण सं. 1059 दिनांक 7.10.13 को भी निरस्त करावें।

4. अपीलांट के वकील की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया। बंटवाडा प्रमाणिकरण तहसीलदार जालोर द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान'2013 में सहखातेदारान् की आपसी सहमति से किया गया है तथा भूमिधारी तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 12.4.2013 को बंटवाडे की स्वीकृति जारी की है। इस प्रकार अपीलांट को बंटवाडा आदेश कमांक/ 4666–4668 दिनांक 12.4.13 का ज्ञान था फिर भी अपीलांट ने अपील 30 दिन में पेश नही कर दिनांक 9.7.2014 को पेश की है जो करीब 1वर्ष 2 माह बाद पेश की हैं,देरी से अपील प्रस्तुत करने का दिन–प्रतिदिन का कोई कारण नही बताया गया है , अतः अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार जालोर के बंटवाडा आदेश कमांक 4666--4668 दिनांक 12.4.13 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय आज दिनांक 14.8.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:39:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: